अनुदान संख्या 18 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 18–DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**			
प्रभारित-	*Charged–*	*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*2,00*
स्वीकृत-	Voted–	28377,07,00	25644,30,65	–2732,76,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2704,45,60
पूंजीगत:	**Capital:**	3,62,33,00	105,76,78	–256,56,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			247,33,58

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2408'' - "खाद्य, भंडारण और भांडागार'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head –"2408"– "Food, Storage and Warehousing" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451''	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat–Economic Services				
मू.	O.	1300.00	1457.03	1431.34	–25.69
पु.	R.	157.03			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2408'' खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing					
मू.	O.	2836104.00		2565764.18	2562959.13	–2805.05
पु.	R.	–270339.82				
मुख्य शीर्ष ''3456'' सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies					
मू.	O.	301.00		40.19	40.18	–0.01
पु.	R.	–260.81				

(I) 8.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2408''-''खाद्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शर्करा संस्थान''- 232.31 लाख रु. की बचत (997.06 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और विदेशी एवं तकनीकी पुस्तकों के उपलब्ध न होने के कारण हुई। कालोनी के नए और पुराने भवनों के ऊपर पीवीसी की टंकियां उपलब्ध कराने और लगाने तथा सामग्री की प्राप्ति न होने की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य भवन की छत का उपचार करने का कुछ कार्य शुरू नहीं किया जा सका और विभिन्न भंडारों के बिल जिनके लिए पूर्ति आदेश दिया जा चुका था, समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''खाद्य सहायता''-

(i) ''खाद्यान्नों के लेनदेन और खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पर भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को देय आर्थिक सहायता''- 259000.00 लाख रु. की बचत (2775000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बजटीय संसाधनों

(I) Provision of Rs.8.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under Major Head "2408"– "Food"–savings occurred under the following heads:–

(A) "Training–National Sugar Institute"–saving of Rs.232.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.997.06 lakhs) was due to non–filling up of vacant posts and non–availability of foreign and technical books. Some of the work of providing and fixing of PVC tanks over old and new colony buildings and roof treatment of main building could not be taken up by Central Public Works Department owing to non–receipt of materials and bills for various stores in time for which supply orders had been placed.

(B) "Food Subsidies"–

(i) "Subsidy payable to Food Corporation of India and others on foodgrains transactions and decentralised procurement of food grains"–saving of Rs.259000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2775000.00 lakhs) was due to

की कमी की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर खाद्य सहायता बजट में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(ii) ''वर्ष 1974-75 के लिए लेवी चीनी का कारखाना-बाह्य मूल्य पुनर्निधारित किए जाने के परिणामस्वरूप दावों के निपटान के लिए देय आर्थिक सहायता''- 2829.84 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस तथ्य के कारण हुई कि चीनी कारखाने के दावेदारों ने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।

(गा) ''अन्य व्यय''-

(i) ''चीनी के सुरक्षित भंडार के रख-रखाव के लिए आर्थिक सहायता''- 9397.58 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ चीनी मिलों से उनके सुरक्षित भंडार के रख-रखाव संबंधी आर्थिक सहायता के दावों पर कार्रवाई किए जाने के लिए उनसे अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति''- 1813.69 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस तथ्य के कारण हुई कि चीनी मिलों को महासागर भाड़ा प्रभारों की अदायगी किए जाने से संबंधित निर्णय वित्त मंत्रालय में लंबित था।

(III) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम'' के अंतर्गत 230.00 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक पुरस्कार स्कीम को लागू किया जाना वर्ष 2004-05 तक के लिए आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 158.10 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत और 91 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग'' - 131.67 लाख रु. का अधिक व्यय (1282.16 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

reduction of food subsidy budget at revised estimates stage for want of budgetary resources.

(ii) "Subsidies Payable for Settlement of claims on account of Re–fixation of Ex–factory Price Levy Sugar for 1974–75"–saving of Rs.2829.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to the fact that claimants of sugar factory did not come forward with the relevant papers.

(C) "Other Expenditure"–

(i) "Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar"–saving of Rs.9397.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to non–receipt of required documents from some sugar mills to process their buffer subsidy claims.

(ii) "Reimbursement of Internal Transport and Freight charges to Sugar Factories on export shipment"–saving of Rs.1813.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to the fact that decision regarding payment of ocean freight charges to sugar mills was pending with the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "3456"– "Other Expenditure–Scheme relating to strengthening Public Distribution System"– saving of Rs.230.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to deferment of implementation of the Annual Award Scheme to the year 2004–05.

(IV) Under two heads savings of Rs.158.10 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 30 percent and 91 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads: –

(I) Major Head "3451"–"Secretariat–Department of Food and Public Distribution"–excess of Rs. 131.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1282.16 lakhs) was due to increase

अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के संबंध में विज्ञापन और प्रचार व्यय में वृद्धि होने और समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय को अदायगी के लिए निधियों के उगाहे जाने के कारण हुआ।

in advertisement and publicity expenses and to raise funds for payment to Directorate of Audio Visual Publicity against newspapers advertisement on Antodya Anna Yojana Scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - निदेशन और प्रशासन - अन्य कार्यालय" - 398.27 लाख रु. का अधिक व्यय (569.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड को एजेंसी कमीशन उपलब्ध कराए जाने और वर्ष 2001-02 की बकाया राशि सहित अन्य व्यय किए जाने, भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रचार पर अतिरिक्त व्यय किए जाने और विज्ञापन के भाग संबंधी अंशदान ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिए जाने के कारण हुआ।

(II) Major Head "2408"–"Food–Direction and Administration–Other Offices"–excess of Rs.398.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.569.00 lakhs) was due to providing Agency Commission to National Co–operative Development Corporation, Industrial Finance Corporation of India Ltd. and incurring of other expenditure including arrears of 2001–02, additional expenditure on account of publicity by Food Corporation of India and share of advertisement to be contributed to the Ministry of Rural Development.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:–

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4408" खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	3805.00	3963.42	3960.94	–2.48
पु.	R.	158.42			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	278.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–278.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	32150.00	7536.00	6615.84	–920.16
पु.	R.	–24614.00			

(I) 5278.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 278.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में भंडारण गोदामों का निर्माण किए जाने के लिए मुख्य शीर्ष "4408" को निधियां अंतरित किए जाने और कुछ केंद्रों पर गोदामों के निर्माण की गति धीमी होने तथा अन्य केंद्रों पर भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण थे।

(खा) "मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल या इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने" - 5000.00 लाख रु. संबंधित चीनी विकास निधि नियमावली की व्याख्या से संबंधित कुछ पहलुओं के उठ खड़े होने के कारण थे जिनका समाधान फरवरी, 2004 में किया गया था। इस स्पष्टीकरण के पश्चात केवल एक पूरे आवेदन पत्र पर विभाग द्वारा वर्ष 2003-04 के बिल्कुल अंत में विचार किया जा सका और स्वीकृति समय पर जारी नहीं की जा सकी।

(II) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "चीनी मिलों की पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण" - 10563.91 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ चीनी मिलों द्वारा कर्ज लेने के लिए वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व औपचारिकताएं अर्थात त्रिक्षीय करार निष्पादित करने की संवितरण-पूर्व अपेक्षा पूरी करना, प्रतिभूति प्रस्तुत करना, गैर-ग्रहणाधिकार खाता खोलना आदि, पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें"- 1030.25 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ चीनी मिलों द्वारा बैंक गारंटी, जिसकी चीनी विकास निधि कर्जों के लिए प्रतिभूति के रूप में अपेक्षा थी, प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "खोई आधारित सहउत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखाने"- 8940.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ आवेदनकर्ताओं द्वारा त्रिक्षीय करार समय पर निष्पादित न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.5278.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads under the following major heads: –

(A) Major Head "4552"– "Other Expenditure–Provision for Projects/Schemes for North–Eastern States including Sikkim"– Rs.278.00 lakhs–due to transfer of funds to Major Head "4408" for construction of storage godowns in North Eastern Region including Sikkim and slow pace of construction of godowns at some of the centres and non–acquisition of land at other centres.

(B) Major Head "6860"– "Sugar–Loans to Public Sector and Other Undertakings–Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol"– Rs.5000.00 lakhs–due to certain aspects regarding interpretation of the relevant Sugar Development Fund rules cropping up which were sorted out in February, 2004. After this clarification only one complete application could be considered by the department at the fag end of 2003–2004 and sanction could not be issued in time.

(II) Under Major Head "6860"–"Sugar–Loans to Public Sector and other Undertakings"–savings occurred under the following heads:–

(A) "Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills"– saving of Rs.10563.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to non–completion of formalities for obtaining loans by some sugar mills viz. to complete the pre–disbursal requirement of executing a tri–partite agreement, furnishing of security, opening of non–lien account etc. before the end of the financial year.

(B) "Sugar Mills for Cane Development"– saving of Rs.1030.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non–furnishing of bank guarantee by some sugar mills which was required as mode of security for Sugar Development Fund loans.

(C) "Sugar factories for bagasse based cogeneration power project"– saving of Rs.8940.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non–execution of Tripartite Agreement (TPA) in time by some applicants.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 85.06 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 85 प्रतिशत थी।

5.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4408" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्रके और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 141.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3705.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2003-04 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली लागू किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जिसे निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

(III) Under one head saving of Rs.85.06 lakhs occurred constituting 85 percent of the sanctioned provision.

5.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "4408" – "Storage and Warehousing– Investment in Public Sector and Other Undertakings–Food Corporation of India"–excess of Rs.141.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3705.00 lakhs) was due to implementation of the Integrated Information System for Food Grains Management in Food Corporation of India in North Eastern States during 2003–04.

(II) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred which was met by re-appropriation of funds.